घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक–

- घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक कानून को 12.09.2005 को संसद में पारित कर दिया था।
- इस कानून का जोर इस बात पर है कि महिला को उसके घर में होने वाली हिंसा से मुक्ति मिले और यह कानून महिला को घर में रहने का हक भी देता है।
- यदि परिवार में किसी व्यक्ति द्वारा पिटाई की जाती है, धमकी दी जाती है या हतोत्साहित किया जाता है इसका मतलब महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है।
- यह कानून महिला को उन लोगों से सुरक्षा देता है जिनके साथ वह एक ही घर में रहती है और उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार करते है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक महिला को निम्नलिखित अधिकार देता है–

- महिला उसी घर में रह सकेगी जहॉ वह पहले से रहती है हिंसा करने वाले व्यक्ति को उस घर में न घुसने का आदेश भी दिया जा सकता है।
- यदि घर में जगह नही है तो किराये का घर दिलवाने और उसका किराया भरने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी।
- सम्बन्धित इलाके के पुलिस थाने का यह निर्देश दिये जायेगें कि वह महिला की सुरक्षा करें।
- हिंसा करने वाले से बॉण्ड भी भरवाया जायेगा ताकि वह घर या बाहर कहीं भी हिंसा न कर सकें।

आर्थिक सहायता–

- मजिस्ट्रेट पति को यह निर्देशित कर सकते है कि महिला को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें।
- गुजारा भत्ता इतना मिले कि महिला व बच्चे सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें।
- गुजारा भत्ता प्रतिमाह भी हो सकता है अथवा एक मुश्त भी।
- संरक्षण के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट बच्चों को कस्टडी आदेश भी दे सकते है। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी महिला को सौंपी जा सकती है।